एनईसैक उमियम में एसी एवं गैर-एसी टैक्सियों की उपलब्धता हेतु वार्षिक अनुबंध
ANNUAL CONTRACT FOR PROVIDING OF AC & NON-AC TAXIES AT NESAC UMIAM

NESAC

जुलाई /JULY- 2026

भारत सरकार/Government of India
अंतरिक्ष विभाग/Department of Space
उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र/North Eastern Space Applications Centre
उमियम/Umiam-793103, मेघालय/Meghalaya

भारत सरकार / Government of India
अंतरिक्ष विभाग / Department of Space
उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र / North Eastern Space Applications Centre
उमियम / Umiam - 793103, मेघालय / Meghalaya

फोन/Tel.: 0364-2570036
ईमेल/Email: purchase.nesac@nesac.gov.in

निविदा आमंत्रण सूचना / NOTICE INVITING TENDER

निदेशक एनईसैक, उमियम, मेघालय, प्रतिष्ठित ठेकेदारों, फर्मो सेवा प्रदाताओं से निम्नलिखित के लिए दो बोली में मोहरबंद प्रस्तावों को आमंत्रित करते हैं। / Director, NESAC, Umiam, Meghalaya, India invites sealed offers in two bids from reputed Service Providers, Firms, Contractors etc for the following:

एनआईटी सं. / NIT No.	कार्य का नाम / NAME OF THE WORK	इएमडी(₹) डीडी के रुप में/ EMD (₹) IN THE FORM OF DD	निविदा शुल्क/ TENDER FEE (₹)
NESAC/1983/2026	एनईसैक उमियम में एसी एवं गैर-एसी टैक्सियों की उपलब्धता हेतु वार्षिक अनुबंध / ANNUAL CONTRACT FOR PROVIDING OF AC & NON-AC TAXIES AT NESAC UMIAM	1,20,000/-	500/-

निविदा दस्तावेजो के विक्रय का दिनांक/ Dates for selling of tender documents : 22.07.2026 to 03.08.2026 (01 PM)

निविदा दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 03.08.2026 को दोपहर 13:00 बजे तक।/ Last date & Time for submission of tender documents : 03.08.2026 upto 13:00 Hrs.

निविदा खोलने की तिथि, समय और स्थान: 03.08.2026 को 15:00 बजे एनईसैक, उमियम में। / Date, Time & Venue of Bid Opening : 03.08.2026 . at 15:00:Hrs at NESAC, Umiam

निविदाकर्ताओं हेतु निर्देश / Instructions to Tenderers:

1. **एनईसैक उमियम में एसी एवं नॉन-एसी टैक्सियों की उपलब्धता हेतु वार्षिक अनुबंध के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। / The Tender is invited for Annual Contract for providing of AC & Non-AC Taxies at NESAC, Umiam./**
2. संपूर्ण विवरण तथा नियम एवं शर्तों आदि के लिए कृपया संलग्न अनुलग्नक (Annexures) देखें /For full details and terms and conditions etc., please see the enclosed Annexures/
3. निविदा दस्तावेज़ एनईसैक, उमियम के क्रय अधिकारी से प्राप्त किए जा सकते हैं / Tender documents can be obtained from the Purchase Officer, NESAC, Umiam/
4. निविदा शुल्क केवल क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ही जमा किया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट निदेशक, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के नाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उमियम (शाखा कोड 2010) पर देय होना चाहिए। निविदा शुल्क गैर-वापसी योग्य है। आपका अनुरोध पत्र तथा निविदा शुल्क उपरोक्त अनुसार प्रशासनिक अधिकारी को संबोधित किया जा सकता है/Tender Fee shall be paid in form of CROSSED Demand Draft only. The Demand Draft should be in favor of Director, North Eastern Space Applications Centre drawn on State Bank of India, Umiam (branch Code 2010). The Tender Fee is NON-REFUNDABLE. Your request letter along with Tender Fee may be addressed to the Administrative Officer as indicated above.
5. **इच्छुक निविदादाता अपनी सुविधा अनुसार उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की वेबसाइट www.nesac.gov.in से निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड कर सकते हैं तथा निविदा सूचना में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित शुल्क के साथ निविदा दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं/** Interested tenderers may, at their option, download the tender documents from the North Eastern Space Applications Centre website www.nesac.gov.in and submit the Tender Document along with the prescribed tender fee as per details given in the tender notification.
6. निविदा दस्तावेज़ का अनुरोध करते समय कृपया लिफाफे पर "निविदा सूचना संख्या NESAC/1983/2026 के विरुद्ध निविदा दस्तावेज़ का अनुरोध" अंकित करें। /While requesting for Tender Documents, please superscribe on the cover as "Request for Tender document against Tender Notice No NESAC/1983/2026."
7. निर्धारित तिथि/समय के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेज़ों पर विचार नहीं किया जाएगा।/ Tender Document received after the due date/time will not be considered
8. सीलबंद कोटेशन/प्रस्ताव भेजते समय लिफाफे पर संबंधित निविदा संख्या एवं अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करें। /While sending sealed quotation/offer superscribed respective Tender Number and Due Date on the envelope.
9. उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, उमियम डाक में देरी या मार्ग में दस्तावेज़ों के खो जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।/ North Eastern Space Applications Centre, UMIAM is not responsible for any postal delays/loss of documents in transit

10. यदि निविदा जमा करने/खोलने की निर्धारित तिथि अचानक अवकाश घोषित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में निविदा जमा करने/खोलने की अंतिम तिथि स्वतः अगले कार्य दिवस तक बढ़ा दी जाएगी। /If the date specified for submission/opening of tenders is declared as a holiday abruptly, the due date for submission/opening of the tenders in such cases shall be postponed automatically to the next working day.
11. निदेशक, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र को किसी भी अथवा सभी कोटेशन/रुचि अभिव्यक्ति को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। /Director, North Eastern Space Applications Centre reserves the right to accept or reject any/or all the quotations/Expression of Interest in part or full
12. **निविदा दस्तावेज़ के सभी पृष्ठों पर विधिवत हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र को जमा करना आवश्यक है। जिन पृष्ठों पर हस्ताक्षर एवं मुहर नहीं होगी, उन्हें अमान्य मानकर अस्वीकार कर दिया जाएगा /All pages forming part of the tender documents should be duly signed, stamped and submitted to North Eastern Space Applications Centre. Pages not signed and stamped will be considered invalid and rejected**.

हस्ता /Sd

दिनांक/Dated: 22.07.2026 निदेशक, एनईसैक / Director NESAC

****

NESAC

भाग – I: तकनीकी बोली /PART- I TECHNICAL BID

एसी एवं नॉन-एसी टैक्सियों की उपलब्धता हेतु वार्षिक अनुबंध के लिए तकनीकी मूल्यांकन विवरण /STATEMENT OF TECHNICAL EVALUATION FOR ANNUAL CONTRACT FOR PROVIDING OF AC & NON AC TAXIES

क्रं सं. /Sl. No.	नियम एवं शर्तें /TERMS & CONDITIONS	अनुपालन /COMPLIANCE	टिप्पणियाँ /REMARKS
1	ठेकेदार को ₹500/- की निविदा शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, निदेशक, एनईसैक के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) उमियम में देय, प्रस्तुत करनी होगी। /The Contractor should submit Tender Fee for ₹ 500/- in the form of demand Draft in favour of Director, NESAC, payable at SBI Umiam		
2	ठेकेदार को ₹1,20,000/- की बयाना राशि (EMD) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, निदेशक, एनईसैक के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) उमियाम में देय, प्रस्तुत करनी होगी। यदि ठेकेदार/बोलीदाता बोली की वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेता है या उसमें कोई परिवर्तन करता है, तो संपूर्ण EMD राशि जब्त कर ली जाएगी।/The Contractor should submit Earnest Money Deposit :₹ 1,20,000/- in the form of demand Draft in favour of Director, NESAC, payable at SBI Umiam. In case the Contractor/bidder's withdrawing or altering its bid during the bid validity period the whole EMD amount will be forfeited.		
3	एनईसैक को किसी भी समय प्रतिदिन औसतन 2 से 3 **वाणिज्यिक वाहनों** की आवश्यकता होती है/NESAC requires on an average 2 to 3 **commercial vehicles** per day at any given point of time.		
4	**24/7 आपातकालीन टैक्सी सेवा उपलब्धता/** **24/7 Emergency Taxi Service Availability** ठेकेदार, **एनईसैक की आवश्यकतानुसार**, रविवार, सार्वजनिक अवकाश और आपातकालीन स्थितियों सहित, दिन के चौबीसों (24) घंटे और सप्ताह के सातों (7) दिन टैक्सी सेवाएँ उपलब्ध कराएगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय आपातकालीन परिवहन अनुरोधों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त वाहन और चालक उपलब्ध हों। एनईसैक से अनुरोध प्राप्त होने पर, ठेकेदार आपसी सहमति से तय समय-सीमा के भीतर आवश्यक वाहन तैनात करेगा। आपातकालीन स्थितियों के दौरान, किसी उचित कारण के बिना सेवाएँ प्रदान न करना इस समझौते का उल्लंघन माना जाएगा, और इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार इसके लिए दंड या अनुबंध की समाप्ति हो सकती है। /The Contractor shall provide taxi services on a twenty-four (24) hours a day, seven (7) days a week basis, including Sundays, public holidays, and during emergency situations, **as and when required by the NESAC.** The Contractor shall ensure the availability of sufficient vehicles and drivers to respond promptly to emergency transportation requests at any time. Upon receiving a request from the NESAC, the Contractor shall deploy the required vehicle(s) within the mutually agreed response time. Failure to provide services during emergencies without reasonable cause shall constitute a breach of this Agreement and may attract penalties or termination as per the terms of this Contract.		

NESAC

5	ठेकेदार को विशेष अवसरों पर 5–20 टैक्सियों की आपूर्ति करने में सक्षम होना चाहिए, जिसकी सूचना पहले से दी जाएगी। केवल वही ठेकेदार, जिसके पास उसके/फर्म के नाम पर न्यूनतम दो (2) टैक्सियाँ अच्छी कार्यशील स्थिति में (चार वर्ष से अधिक पुरानी नहीं) उपलब्ध हों, इस निविदा में भाग ले सकता है। तकनीकी बोली के साथ मॉडल विवरण, पंजीकरण प्रमाणपत्र, बीमा प्रमाणपत्र, प्रदूषण प्रमाणपत्र आदि जैसे दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करना आवश्यक है।/The contractor should be capable of supplying 5 – 20 taxies on specified occasions which will be informed well in advance. The contractor who owns a minimum of 2(two) taxies in good running condition (not more than four years old) in his/the firm's name only shall participate in this tender. Documentary evidence such as models, registration certificate, insurance, pollution certificate etc., should be included in the technical bid.		
6	केवल अच्छी तरह से अनुरक्षित नई टैक्सियाँ (जो चार वर्ष से अधिक पुरानी न हों) तथा साफ-सुथरी अपहोल्स्ट्री वाली गाड़ियाँ उपलब्ध कराई जाएँगी। आपातकालीन मरम्मत की स्थिति से निपटने हेतु वाहनों में पर्याप्त अतिरिक्त सामग्री, जैसे स्टेपनी, फैन बेल्ट, होज़ पाइप, औज़ार, प्राथमिक उपचार किट आदि उपलब्ध होने चाहिए। वाहन, चालक एवं ठेकेदार का विवरण (पंजीकरण संख्या, नाम एवं मोबाइल नंबर) टैक्सी के अंदर अंकित होना चाहिए। वाहन चालक को RTO नियमों के अनुपालन हेतु सभी आवश्यक दस्तावेज वाहन में रखने होंगे तथा उसे मौजूदा मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार स्वच्छ यूनिफॉर्म (सफेद शर्ट एवं सफेद पैंट) और नाम बैज पहनना अनिवार्य होगा। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि चालक का व्यवहार संगठनात्मक मानकों के अनुरूप हो। वाहन चालक के पास हमेशा मोबाइल फोन होना चाहिए।/Well maintained new (not more than four years old) taxies with neat and tidy upholstery only to be provided. Sufficient spares viz., stepney, fan belt, hose, tools, first aid kit etc., should be available with the vehicles to take care of emergency repairs. Details of vehicle, driver & Contractor (Registration no., name & mobile no.) should be written inside the taxi. Driver of the vehicle need to possess all documents in the vehicle to comply with RTO norms and should wear neat uniform (White Shirt and White Pant) with name badge as per the existing Motor Vehicle Act. The contractor shall monitor and ensure that drivers' behavior suit the organizational status. The vehicle driver shall have a cell phone always.		
7	तैनात किए जाने वाले चालक अच्छे स्वास्थ्य वाले, शिष्ट, विनम्र एवं संतुलित स्वभाव के होने चाहिए। उन्हें ड्यूटी के दौरान धूम्रपान, तंबाकू चबाना या शराब का सेवन/सेवन किया हुआ नहीं होना चाहिए। उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए तथा उन्हें सौंपे गए कार्यों का उचित रूप से पालन करना चाहिए। प्रत्येक चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस तथा सभी आवश्यक वाहन-संबंधी दस्तावेज होने चाहिए और उसे हमेशा नाम बैज पहनना अनिवार्य होगा। उन्हें हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए।/The drivers deployed must be in good health, well mannered, well behaved, even tempered, should not smoke/chew tobacco or consume/have consumed alcohol while on duty and should have minimum VIIIth standard qualification and should perform the duties entrusted to him properly. He must possess a valid driving license and required vehicle related papers with name badge at all times. He must have knowledge of Hindi and English.		
8	ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि टैक्सियाँ पर्याप्त ईंधन के साथ ड्यूटी पर रिपोर्ट करें तथा यात्रा के दौरान ईंधन, टोल शुल्क आदि के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था भी की जाए। वाहन, चालक एवं सभी आवश्यक दस्तावेज प्रशासनिक अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अचानक निरीक्षण हेतु किसी भी समय तैयार रखे जाने चाहिए।/The contractor should ensure that the taxies report for the duty with sufficient fuel and also arrange to provide sufficient money for fuel, toll charges, etc., while on tour. Vehicles along with drivers & documents should be ready for surprise inspection by Administrative Officer or any other official authorized by him.		

9	किसी भी हड़ताल, बंद (बंद), नागरिक अशांति या अन्य गड़बड़ी की स्थिति में, ठेकेदार को सामान्य रूप से वाहनों का संचालन जारी रखने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासनिक अधिकारी को दी जाएगी तथा उनके निर्देशों का पालन किया जाएगा।/In case of any strike or bandh, civil commotions and other disturbances, the contractor should make earnest efforts for plying the vehicles as usual and if any problem arises, the same should be intimated to Administrative Officer immediately and follow his instructions.		
10	यदि टैक्सी एनईसैक में रिपोर्ट करती है अथवा वहाँ से मुक्त की जाती है, तो टैक्सी ठेकेदार के कार्यालय और एनईसैक के बीच अधिकतम 10 कि.मी. या वास्तविक दूरी, जो भी कम हो, को भुगतान हेतु अनावश्यक दूरी (Idle Distance) के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यदि टैक्सी एनईसैक के अतिरिक्त शहर के किसी अन्य स्थान पर रिपोर्ट करती है अथवा वहाँ से मुक्त की जाती है, तो टैक्सी ठेकेदार के कार्यालय और रिपोर्टिंग/रिलीज़िंग स्थल के बीच की वास्तविक दूरी को भुगतान हेतु निष्क्रिय दूरी माना जाएगा। इस निष्क्रिय समय एवं दूरी की प्रविष्टियाँ लॉग शीट में प्रारंभ तथा समाप्ति के समय ठेकेदार द्वारा की जाएँगी। /In case the taxi reports to or is released from NESAC, a maximum of 10 km or the actual distance whichever is less between the office of the taxi contractor and NESAC shall be entertained as idle distance for payment. In case the taxi either reports or is released to/from any other point in the city other than NESAC, then the actual distance between the office of the taxi contractor and reporting / releasing point shall be entertained as idle distance for payment. The entries of these idle time and distance in the log sheets at the beginning and at the end are to be made by the contractor.		
11	भुगतान वास्तविक तय की गई दूरी के आधार पर किया जाएगा /Payment will be made based on actual distance travelled		
12	एनईसैक में यात्राओं/ट्रिप्स को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:/The Journeys trips at NESAC is divided into followings three categories:		
i.	(a) स्थानीय यात्राएँ – कोई भी यात्रा (मेघालय के भीतर/बाहर) जिसमें तिथि परिवर्तन या रात्रि विश्राम (नाइट हाल्ट) शामिल न हो।/Local trips – Any Journey (within/outside Meghalaya) which does not involve change of Date / Night Halt.		
ii	एक तरफा ड्रॉप / पिक-अप यात्रा (एक तरफा):/One way drop/ Pick up trip (One Way): **a) शिलांग से गुवाहाटी एयरपोर्ट / गुवाहाटी शहर तथा इसके विपरीत।/Shillong to Guwahati Airport / Guwahati City and vice versa** **(b) गुवाहाटी शहर से गुवाहाटी एयरपोर्ट तथा इसके विपरीत। / Guwahati City to Guwahati Airport and vice versa.**		
iii	आउटस्टेशन यात्राएँ (ऐसी यात्राएँ जिनमें रात्रि विश्राम तथा तिथि परिवर्तन शामिल हो)।/Outstation trips (Trips involving Night Halts and change of dates)		
iv	मासिक आधार पर यात्रा (महीने के सभी कार्य दिवसों हेतु वाहन किराए पर लिए गए)।/Monthly Basis trip (Vehicles hired for all working Days in a month)		
13	**स्थानीय यात्राओं के लिए ड्यूटी (राज्य के भीतर यात्रा/अंतर-राज्यीय यात्रा अर्थात मेघालय और असम के बीच की यात्रा शामिल है)।/For Local trips duties (Trips involving intrastate travel/ interstate travel i.e. between the state of Meghalaya and Assam)** स्थानीय यात्राओं के लिए, टैक्सी किराए पर लेने के घंटों की संख्या ही लागू स्लैब निर्धारित करने का आधार होगी। जब किसी विशेष घंटे के स्लैब के लिए निर्धारित अधिकतम किलोमीटर से वास्तविक चलन (रनिंग) अधिक हो जाता है, तो अतिरिक्त किलोमीटर दर को ध्यान में रखा जाएगा। इसी प्रकार, जब उपयोग निर्धारित समय सीमा से अधिक हो जाता है, तो अगले स्लैब को लागू माना जाएगा, भले ही किलोमीटर की संख्या उस स्लैब की सीमा को पार न करें। हालांकि, प्रति घंटे की दर (प्रतीक्षा शुल्क / waiting charge) केवल 15 घंटे से अधिक होने पर		

	ही लागू होगा। इसलिए, ठेकेदार को ऐसे वाहन तैनात करने होंगे जिनके पास बहु-राज्य (multi-state) परमिट हो। वाहन में पर्याप्त ईंधन होना चाहिए तथा चालक के पास पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए, क्योंकि इन वाहनों का उपयोग किसी भी आपातकालीन ड्यूटी के लिए किया जा सकता है, जैसा कि प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए।/For local trips, the number of hours for which the taxi is hired is the basis for deciding the applicable slab. Whenever the actual running exceeds the maximum kilometers for a particular hour slab, the extra kilometer rate is to be taken into account. Similarly, whenever the usage exceeds the time limit indicated in the slab, the next slab is to be taken in to account even though the number of kilometers does not cross the limit indicated in the slab. However, rate / hour (waiting charge) agreed will be applicable only beyond 15 hours. Therefore, the contractor should deploy vehicles which have multistate permit. The vehicle should also have sufficient fuel and driver should have sufficient money as these vehicles can be used for any emergency duty where so decided by Administrative Officer.		
14	**आउटस्टेशन ड्यूटी के लिए दरें निम्नानुसार लागू होंगी:/For outstation duties, the rate shall be applied as under:**		
i	टैक्सी का उपयोग रात 12 बजे तक एक दिन माना जाएगा। आउटस्टेशन दरें केवल तभी लागू होंगी जब रात्रि विश्राम/टैक्सी का उपयोग रात 12 बजे के बाद होता है, चाहे वास्तविक यात्रा दूरी कुछ भी हो। हालांकि, यह शर्त एकतरफा यात्रा (वन वे जर्नी) पर लागू नहीं होगी, जैसा कि 11(ii) में उल्लेखित है।/Usage of taxi up to 12 O' Clock mid-night shall be considered as One Day. Outstation rates will be applicable only if night halt / usage of taxies is beyond 12 O' Clock mid-night irrespective of actual distance travelled. However, this condition will not be applicable for one way journey trip as mention in 11(ii).		
ii	जब भी टैक्सियों के उपयोग/किराये की अवधि में तिथि परिवर्तन सम्मिलित होगा, तब आउटस्टेशन शुल्क लागू किए जाएंगे। /Whenever change of date is involved while the usage / hiring of taxies, Outstation charges will be applied.		

15	**एकतरफा यात्रा ड्यूटी (पिक-अप एवं ड्रॉप ड्यूटी):/One way trip duty (pick up and drop duties) :**			
I	**(a)**	**शिलांग से गुवाहाटी हवाई अड्डा / गुवाहाटी शहर तथा इसके विपरीत (पिक-अप एवं ड्रॉप सेवाएँ)।:/Shillong to Guwahati Airport / Guwahati City and vice versa (pickup and drop duties)** शिलांग और गुवाहाटी एयरपोर्ट/शहर के बीच की औसत दूरी 120 किलोमीटर मानी गई है।/Average distance between Shillong and Guwahati Airport / City is taken as 120 KMs only.		
	(b)	**गुवाहाटी शहर से गुवाहाटी एयरपोर्ट तथा इसके विपरीत (पिक-अप एवं ड्रॉप ड्यूटी)।/Guwahati City to Guwahati Airport and vice versa (pickup and drop duties)** गुवाहाटी शहर और गुवाहाटी एयरपोर्ट के बीच की औसत दूरी 40 किलोमीटर मानी गई है। /Average distance between Guwahati City to Guwahati Airport is taken as 40 KMs only		
ii	कार्यालय द्वारा जारी वाहन मांग (requisition) में दिए गए निर्देशानुसार चालक को समय पर रिपोर्ट करना होगा। /Drivers should report well in time as asked by the Office in the vehicle requisition.			
iii	यात्रियों द्वारा आसानी से पहचान के लिए चालक को प्लेकार्ड साथ रखना होगा।/Drivers should carry placard for easy identification by the passengers.			
iv	एनईसैक की पूर्व अनुमति के बिना तय दूरी से अधिक किलोमीटर के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा। इसलिए चालकों को सबसे छोटे मार्ग का पालन करना चाहिए।/Contractors will not be paid for extra Kms if travelled without prior permission of the NESAC Office. Therefore drivers should stick to the shortest route.			

v	केवल उस स्थिति में, जब गुवाहाटी एयरपोर्ट/शहर से पिक-अप के दौरान फ्लाइट/ट्रेन दो घंटे से अधिक विलंबित हो, तब ठेकेदार को अतिरिक्त घंटों के लिए प्रति घंटे के आधार पर प्रतीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।/Only in case of delay of flight/train for more than two hour in case of pick up from Ghy Airport/city the Conractor will be paid waiting charges per hourly basis at the extra hours rate.		
16	**मासिक आधार पर यात्रा /Monthly Basis Trip:**		
I	वाहन को पूर्ण माह के लिए अर्थात् 320 घंटे (2500 कि.मी.) की सीमा के भीतर किराये पर लिया जाएगा। /The vehicle shall be hired for a complete month i.e. within 320 hrs (2500 kms)		
Ii	जब किसी विशेष माह में वास्तविक उपयोग निर्धारित अधिकतम किलोमीटर (2500 कि.मी.) से अधिक हो जाता है, तो अतिरिक्त प्रति किलोमीटर की दर को ध्यान में रखा जाएगा। इसी प्रकार, यदि उपयोग समय सीमा (320 घंटे) से अधिक हो जाता है, भले ही किलोमीटर 2500 कि.मी. से अधिक न हों, तो 320 घंटे से अधिक की अवधि के लिए सहमत प्रति घंटे की दर ही लागू होगी। /Whenever the actual running exceeds the maximum kilometers (2500 kms) for a particular month, the rate per extra kilometer is to be taken into account. Similarly, whenever the usage exceeds the time limit (320 hrs) even though the number of kilometer does not cross 2500 kms, rate per hour agreed will be applicable only beyond 320 hrs.		
iii	मासिक आधार पर किराए पर ली गई टैक्सियों के लिए लॉग बुक का रखरखाव करना होगा। /A log book should be maintained for taxies hired on monthly basis.		
iv	मासिक आधार पर उपलब्ध कराए गए वाहन में पर्याप्त ईंधन होना चाहिए तथा चालक के पास पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए, क्योंकि इन वाहनों का उपयोग प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निर्धारित किसी भी आपातकालीन ड्यूटी के लिए किया जा सकता है। अतः ठेकेदार ऐसे वाहन परिवहन हेतु उपलब्ध कराए, जिनके पास बहु-राज्य परमिट (विशेष रूप से असम एवं अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए) हो। वाहन एवं चालक ऐसी ड्यूटी के लिए सदैव तैयार रहने चाहिए। / The monthly basis vehicle should have sufficient fuel and driver should have sufficient money as these vehicle can be used for any emergency duty where so decided by Administrative Officer. Therefore contractor should deploy vehicle for conveyance which have multistate permit (particularly Assam & other North Eastern States). Vehicle & driver should be always ready for such as duty.		
17	वाहन ड्यूटी पर पर्याप्त ईंधन के साथ रिपोर्ट करें तथा चालक भी ड्यूटी पर रिपोर्ट करने से पूर्व भोजन कर लें। उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र किसी भी वाहन को मार्ग में ईंधन भराने या भोजन हेतु रुकने की अनुमति नहीं देगा। इसका उल्लंघन होने पर क्रम संख्या 18 के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।/Vehicle should report to duty with sufficient fuel and drivers also should take food before reporting to duty. NESAC will not allow any vehicle to stop on the way for fuel and food. Contravention of which will lead to penalty as per Sr No. 18		
18	यदि वाहन को कार्यालय समय के दौरान अधिकारियों द्वारा मुक्त किया जाता है, तो चालक को प्रस्थान करने से पहले प्रशासनिक अधिकारी, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र को रिपोर्ट/सूचित करना होगा।/If the Vehicle is released during office hours by the Officials, the driver should report/intimate to Administrative Officer, NESAC before leaving.		

NESAC

19	यदि ठेकेदार निम्नलिखित शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो प्रति वाहन प्रति दिन जुर्माना लगाया जाएगा तथा प्रत्येक ऐसी स्थिति में यह राशि ठेकेदार के बिल से काट ली जाएगी।/If contractor fails to observe the following, a penalty per vehicle per day will be imposed and deducted from the bill of the contractor on each of such occasions. 1. किसी भी दिन वाहन उपलब्ध न कराने में विफलता Failure to provide a vehicle on any day 2. खराबी (breakdown) की स्थिति में उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराने में विफलता Failure to provide a suitable vehicle in case of breakdowns. 3. यात्राएँ एवं ड्यूटी पूरी न करना Failure to perform trips and duties. 4. प्रत्येक वाहन में वैध दस्तावेजों की प्रतियाँ, स्पेयर व्हील एवं संबंधित टूल किट का रखरखाव न करना Failure to maintain copies of valid documents, spare wheel, and associated tool kit in each vehicle. 5. वाहनों को साफ-सुथरी एवं स्वच्छ स्थिति में न रखना Failure to keep the vehicles in neat and clean condition. 6. वाहन का देर से रिपोर्ट करना Late reporting of vehicle. 7. बिना पूर्व अनुमति के वाहन बदलना Change of vehicle without prior permission 8. बिना पूर्व अनुमति के चालक बदलना Change of driver without prior permission 9. चालक के पास मोबाइल फोन न होना No mobile phone with driver. 10. चालक द्वारा यूनिफॉर्म एवं नाम बैज न पहनना। Driver without uniform and name badge.	**₹1000**	
20	ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए वाहन किसी भी न्यायालयी मामले से मुक्त होने चाहिए। / The vehicles provided by Contractor should be free from court cases.		
21	वाहन की बुकिंग होने पर, ठेकेदार प्रत्येक उपयोगकर्ता को वाहन संख्या, चालक का नाम एवं मोबाइल नंबर का विवरण एसएमएस के माध्यम से ड्यूटी से कम से कम 12 घंटे पूर्व भेजेगा तथा इसकी एक प्रति प्रशासनिक अधिकारी, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र को भी भेजी जाएगी। चालक/वाहन में परिवर्तन होने की स्थिति में, ठेकेदार को इसकी सूचना उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र को पूर्व में ही देनी होगी। / On booking of the vehicle, the Contractor shall send SMS with details of car number, driver name and mobile number to each user with a copy to Administrative Officer, NESAC at least 12 hours before duty. In case of change of driver/vehicle the contractor should inform NESAC well in advance		
22	उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अंतर-राज्य परमिट शुल्क, टोल शुल्क, पार्किंग शुल्क आदि पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी मूल रसीदों तथा उपयोगकर्ता द्वारा प्रमाणित किए जाने पर करेगा। उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र संचालन, मरम्मत, रखरखाव, ईंधन एवं तेल, सर्विसिंग, चालक का वेतन, भोजन, आवास, गैरेज शुल्क, बीमा, सड़क कर आदि पर होने वाला कोई भी व्यय वहन नहीं करेगा। ऐसे सभी मामलों में पूर्ण दायित्व टैक्सी ठेकेदार का होगा। / NESAC will re-imburse the expenditure incurred towards Inter- State permit charges, toll charges, parking charges, etc., on production of original receipts issued by State Government/local authorities and certified by the user. NESAC will not bear any cost towards operation, repair, maintenance, fuel and oil, servicing, wages, fooding, lodging of drivers, garage fees, insurance; road tax etc. The complete liability in such cases will be that of the Taxi contractor.		

NESAC

23	**चालक को उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र से किसी भी प्रकार की सुविधा, जैसे भोजन, ठहराव एवं आवास (boarding, fooding and lodging) का कोई अधिकार नहीं होगा। आउटस्टेशन यात्राओं के लिए उन्हें अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।/Driver will not be entitled to any privileges from NESAC including boarding, fooding and lodging charges. For outstation trips they need to make their own arrangements.**		
24	केवल चार वर्ष से कम पुराने (निविदा की अंतिम तिथि के अनुसार) पीले बोर्ड वाले टैक्सी वाहन, जिनके पास वैध परमिट एवं बीमा हो, उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारी, एनईसैक को किसी भी समय टैक्सियों की स्थिति तथा उनके दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार होगा। /Only less than four years old (as on last date of tender) yellow board taxies with valid permits and insurance are to be provided. Administrative Officer, NESAC has the right to check the condition and the documents of the taxies at any time.		
25	किसी भी दुर्घटना या यातायात नियम उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले सभी खर्च एवं दायित्व पूरी तरह से टैक्सी ठेकेदार की जिम्मेदारी होंगे। एनईसैक के अधिकारी दुर्घटना या यातायात नियम उल्लंघन से उत्पन्न किसी भी विवाद में पक्षकार नहीं होंगे। संपत्ति की हानि, चोट या मृत्यु से संबंधित दुर्घटनाओं की स्थिति में किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए दावे या मुकदमों के विरुद्ध एनईसैक कोई क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं करेगा।/All cost and liabilities arising out of any accident or traffic offence are solely the responsibility of the taxi contractor. NESAC officials will not be a party to any dispute arising out of accident or traffic offence. NESAC shall not indemnify against any claims or law suits by a third party in case of accidents resulting in loss of property, injury and death.		

26	किसी भी टैक्सी के खराब होने की स्थिति में उसका प्रतिस्थापन (replacement) ठेकेदार द्वारा किया जाएगा तथा प्रतिस्थापन वाहन के लिए कोई अनावश्यक किलोमीटर एवं समय स्वीकार्य नहीं होगा।/In case of breakdown of any taxi, the replacement should be provided by the contractor and no idle KM and time will be entertained for replacement vehicle.		
27	एनईसैक टैक्सियों की आपूर्ति हेतु एक या अधिक फर्मों के साथ समानांतर अनुबंध (parallel contract) करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।/NESAC reserves the right to enter into a parallel contract with one or more number of firms for hiring of taxies.		
28	भुगतान वैध बिलों के प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। बिल मासिक आधार पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यदि किसी बिल का प्रस्तुतिकरण 2 माह से अधिक विलंबित होता है, तो ऐसे मामलों में उपरोक्त भुगतान समय-सीमा लागू नहीं होगी।/Payment will be made within 30 days from the date of submission of valid bills. Bills should be submitted on monthly basis. Any bills submission if delayed by more than 2 months, then above payment timeline will not be applicable to the same.		
29	यह अनुबंध अनुबंध की तिथि से प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। प्रथम वर्ष की समाप्ति के बाद, आपसी सहमति से दर अनुबंध को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार की प्रक्रिया अनुबंध के दूसरे वर्ष की समाप्ति पर भी अपनाई जाएगी। किसी भी स्थिति में इस अनुबंध की कुल अवधि तीन (3) वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रारंभ में तीन (3) महीने की परीक्षण अवधि (ट्रायल पीरियड) होगी।/The contract shall be valid initially for a period of one year from the date of the contract. After the expiry of the 1st year, the rate contract shall be extended for another one year on mutual consent. Similar process will be followed at the expiry of the 2nd year of the contract. In no case, total duration of this contract shall exceed 3 (three) years. There will be a trial period of 3 months initially.		

NESAC

30	(a)	**स्थानीय यात्राओं, एकतरफा ड्रॉप/पिक-अप यात्राओं तथा मासिक आधार पर वाहन किराए पर लेने के लिए।/ For Local Trips, One Way Drop / Pick Up Trips & Monthly Basis hiring of Vehicle** यदि ईंधन दर में 10% की वृद्धि या कमी होती है, तो तदनुसार दर में 3% की वृद्धि या कमी की जाएगी।/ In case, there is an increase/ decrease in the fuel rate by 10%, subsequently there will also be an increase/ decrease in the rate by 3%.		
	(b)	**आउटस्टेशन यात्राओं के वाहनों के लिए/ For Outstation Trips Vehicles** आउटस्टेशन यात्राओं के वाहनों के लिए: यदि ईंधन दर में 5% की वृद्धि या कमी होती है, तो तदनुसार प्रति किलोमीटर दर में 5% की वृद्धि या कमी की जाएगी। वाहन की प्रति दिन की दर अपरिवर्तित रहेगी।/ In case, there is an increase/ decrease in the fuel rate by 5%, subsequently there will also be an increase/ decrease in the rate/km by 5%. The vehicle rate per day shall remain unchanged.		
31	एनईसैक ठेकेदार को एक नमूना लॉग शीट प्रदान करेगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि चालक आवश्यक संख्या में लॉग शीट्स के साथ ड्यूटी पर रिपोर्ट करे। प्रत्येक यात्रा के लिए लॉग शीट के सभी कॉलम भरने के पश्चात टैक्सी उपयोगकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करना चालक की जिम्मेदारी होगी। अधूरी एवं अस्पष्ट लॉग शीट्स का भुगतान हेतु विचार नहीं किया जाएगा। लॉग शीट में किसी भी प्रकार के सुधार/संशोधन को उपयोगकर्ताओं द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। ठेकेदार चालक को सख्त निर्देश देगा कि वे लॉग शीट में ठेकेदार के कार्यालय से प्रथम रिपोर्टिंग स्थल तक तथा वाहन मुक्त किए जाने के स्थान से वापसी यात्रा के अतिरिक्त कोई अन्य प्रविष्टि न करें। यदि लॉग शीट/बुक पर वास्तविक उपयोगकर्ता अथवा वाहन की मांग करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होंगे, तो भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। / NESAC will provide a specimen log sheet to the contractor. Contractor should ensure that the driver reports for the duty along with required number of log sheets. It is the responsibility of the driver to obtain signature of the taxi users after they fill all the columns of the log sheets for each trip. Incomplete and illegible log sheets will not be entertained for payment. Any corrections in the log sheet should be attested by the users. Contractor should give strict instructions to the drivers that they should not make any entries in the log sheets other than the entries of travel between office of the contractor to the first reporting point and back to travels from the releasing point. Payments shall not be entertained if log sheet/book is not signed by actual user/ official who requisitioned the vehicle.			
32	एनईसैक निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:/ NESAC reserves the right to terminate the contract in the following cases:			
i	एनईसैक को मार्ग में वाहनों के बार-बार खराब होने अथवा निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अनुसार आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने में किसी भी प्रकार की कमी के कारण असुविधा/हानि होने पर।/ NESAC suffers due to frequent breakdown of the vehicles in route or any lapse in providing required services as per terms and conditions specified.			
ii	वाहनों का बीच रास्ते में बार-बार रुक जाना, जैसे कि खराब रखरखाव, ईंधन की कमी, दुर्घटना, चालक का अनुचित व्यवहार/अनुशासनहीनता आदि के कारण।/ Frequent stoppage of vehicles mid-way due to poor maintenance, lack of fuel, accident, misbehavior/in-discipline of the driver, etc.			

iii	चालक की लापरवाही एवं तेज गति से वाहन चलाने के कारण एनईसैक / उपयोगकर्ता कर्मचारियों को होने वाली किसी भी आर्थिक हानि के लिए उत्तरदायी होगा। /Suffer any pecuniary loss due to rash and negligence driving of the driver to NESAC/ user Staff.		

33	**क्रेता के पास निम्नलिखित अधिकार सुरक्षित हैं/ THE PURCHASER RESERVES THE RIGHT:**		
i	अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय एक या अधिक ठेकेदारों के साथ समानांतर दर अनुबंध करने का अधिकार सुरक्षित है। / To enter into parallel rate contract simultaneously or at any time during the period of contract with one or more contractors.		
ii	अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय एक या अधिक निविदादाताओं के साथ आकस्मिक (ad-hoc) अनुबंध या समानांतर अनुबंध करने का अधिकार सुरक्षित है।/ To place on ad-hoc contract or contract simultaneously or at any time during the period of the contract with one or more tender.		
iii	किसी भी कारण को बताए बिना किसी भी समय अनुबंध को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।/ To cancel the contract at any time without assigning any reason whatsoever.		
iv	ठेकेदार द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में अनुबंध को रद्द करने तथा प्रदर्शन सुरक्षा जमा (Performance Security Deposit) को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त करने का अधिकार एनईसैक के पास सुरक्षित है।/ Cancel the Contract in case the contractor violate to any terms and conditions of the Contract and forfeiting of performance security deposit in part or in full as deem fit by NESAC		
34	**<u>निष्पादन सुरक्षा जमा राशि /Performance Security Deposit</u>** अनुबंध स्वीकार किए जाने पर, ठेकेदार को क्रेता के विकल्पानुसार तथा निर्दिष्ट अवधि के भीतर, अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10% तक की राशि निष्पादन सुरक्षा जमा (Performance Security Deposit) के रूप में जमा करनी होगी। यह जमा राशि या तो निष्पादन बैंक गारंटी (₹200/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित, तथा अनुबंध की समाप्ति तिथि से साठ दिन अतिरिक्त अवधि तक वैध, जैसा कि परिशिष्ट-I में दिए गए प्रारूप के अनुसार) अथवा बैंक एफडीआर (FDR) के रूप में होगी। यदि क्रेता द्वारा सुरक्षा जमा प्रस्तुत करने के लिए कहा जाने पर ठेकेदार निर्धारित अवधि में इसे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो यह अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में, क्रेता उप-धारा (i) एवं (ii) के अनुसार ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर वैकल्पिक व्यवस्था करने तथा इस कारण होने वाली क्षति की वसूली करने का अधिकारी होगा। क्रेता को यह भी अधिकार होगा कि वह प्रदर्शन सुरक्षा जमा को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर सके। /On acceptance of the Contract, the Contractor shall, at the option of the Purchaser and within the period specified, deposit a performance Security Deposit in the form of Performance Bank Guarantee (executed on non-judicial stamp paper of ₹200/-, and shall be valid for a period of sixty days beyond the date of expiry of the contract as per format enclosed in Annexure-I) or Bank FDR of an amount not exceeding 10% of the value of the Contract. If the Contractor is called upon by the Purchaser to deposit, 'Security' and the Contractor fails to provide the security within the period specified, such failure shall constitute a breach of the Contract, and the Purchaser shall be entitled to make other arrangements for the services Contracted at the risk of the Contractor in terms of Sub-Clause (i) and (ii) of clause below and/or to recover from the Contractor, damages arising from such cancellation. To forfeit the		

	Performance Security deposit in full or a portion of it as deem fit by the purchaser. (i) ठेकेदार को बिना किसी पूर्व सूचना दिए, ठेकेदार के जोखिम एवं खर्च पर, जहाँ सेवाएँ प्रदान नहीं की गई हों या समान प्रकृति की अन्य सेवाएँ (यदि विनिर्दिष्ट विवरण के अनुरूप अन्य सेवाएँ क्रेता की राय में, जो अंतिम होगी, आसानी से उपलब्ध न हों) अन्यत्र से प्राप्त करने का अधिकार होगा, बिना उन खेपों के संबंध में अनुबंध रद्द किए जो अभी डिलीवरी के लिए देय नहीं हैं।/to get the services from elsewhere, without notice to the Contractor on the account and at the risk of the Contractor, the services not delivered or others of a similar description (where others exactly complying with the particulars, are not, in the opinion of the purchaser, readily serviceable, such opinion being final) without cancelling the Contract in respect of the consignment (s) not yet due for delivery, or (ii) अनुबंध को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द करने तथा यदि आवश्यक समझा जाए तो उन सेवाओं को या समान प्रकार की अन्य सेवाओं को (जहाँ विनिर्देशों के अनुसार सेवाएँ, क्रेता की राय में, आसानी से उपलब्ध नहीं हैं) ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर प्राप्त करने/कराने का अधिकार क्रेता के पास होगा, तथा/to cancel the Contract in full or a portion thereof and if so desired to get the services or authorise the services not so delivered or others of a similar description (where others exactly if complying with the particulars are not, in the opinion of the purchaser, readily serviceable) at the risk and cost of the Contractor and		

35	**यदि ठेकेदार अनुबंध से हटने का निर्णय लेता है, तो उसे तीन महीने का पूर्व लिखित नोटिस प्रशासनिक अधिकारी, एनईसैक को देना होगा; ऐसा न करने की स्थिति में सुरक्षा जमा (Security Deposit) के बराबर राशि जब्त कर ली जाएगी।/In case the Contractor decides to withdraw the contract, a prior notice of three months (in written) is to be submitted to the Administrative Officer, NESAC; failing which the amount equivalent to Security Deposit will be forfeited.**		
36	**(क्षेत्राधिकार/ Jurisdiction)** केवल नोंगपोह के न्यायालयों को इस अनुबंध से उत्पन्न विवादों के संबंध में मामलों की सुनवाई एवं निर्णय करने का क्षेत्राधिकार होगा/The Courts of Nongpoh only shall have the jurisdiction to deal with the award and decide the matter relating to the disputes arising out of the contract.		
37	**अनुबंध का उप-ठेका (सबलेटिंग) / Subletting of Contract** ठेकेदार को अनुबंध के अंतर्गत अपने अधिकारों एवं दायित्वों को किसी अन्य एजेंसी को हस्तांतरित, सौंपने, गिरवी रखने या उप-ठेका (सब-कॉन्ट्रैक्ट) देने की अनुमति नहीं होगी। /The Contractor shall not be allowed to transfer, assign, pledge or subcontract its rights and liabilities under the contract under any other agency.		
38	तैनात किए गए कर्मियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन ठेकेदार द्वारा संबंधित पुलिस प्राधिकरण से अभिलेख जांच के माध्यम से कराया जाएगा तथा मूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।/The Character and Antecedents of the personnel deployed shall be verified through record check by the Contractor from the concerned Police authorities, and submit the Original Police Report to Administrative Officer.		
39	<u>प्रस्ताव के साथ आवश्यक दस्तावेज</u> <u>Documents required along with the offer</u> ठेकेदार को अपने प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करनी आवश्यक है, अन्यथा उनकी बोली को बिना किसी विचार के तत्काल/पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया जाएगा और आगे विचार हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा। /The Contractor is		

	required to enclose photocopies of the following documents along with the offer failing which their bids should be summarily/outrightly rejected and should not be considered any further.		
A	पैन / आधार कार्ड की प्रति।/A copy of PAN / Aadhar Card.		
B	वाहन से संबंधित मॉडल विवरण, पंजीकरण संख्या, बीमा, परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र आदि जैसे दस्तावेजी साक्ष्य, जैसा कि क्रम संख्या 5 में उल्लेखित है।/Documentary evidence such as models, registration number, insurance, permit, fitness certificate, etc. of the vehicle as stated in Sl. No. 5		
C	ठेकेदार के पास किसी भी सरकारी कार्यालय/पीएसयू/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, होटल आदि को वाहन उपलब्ध कराने का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है।/The contractor should have at least 01 year experience in supplying of vehicles to any Government Offices/PSUs/Public Sector Bank, Hotel, etc./ Documentary evidence to be submitted.		
D	वस्तु एवं सेवा कर (GST) पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।/A copy of Goods and Service Tax (GST) registration certificate.		
E	ठेकेदार द्वारा एक वचन-पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना होगा, जिसमें यह घोषित किया जाएगा कि उसके स्वामी (Proprietor) या उसके किसी निदेशक (यदि यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है) के विरुद्ध कोई कानूनी मुकदमा/आपराधिक मामला लंबित नहीं है, तथा उन्हें नैतिक अधमता (moral turpitude) के आधार पर या लागू कानूनों के उल्लंघन के लिए पूर्व में दोषी नहीं ठहराया गया है। /Undertaking to be furnished by the Contractor that the Contractor is having no legal suit/criminal case pending against its proprietor or any of its Directors (in the case of Private Ltd. Company) or having not been earlier convicted on grounds of moral turpitude or for violation of laws in force.		
F	गैर-जनजातीय ठेकेदारों को खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (KHADC) द्वारा जारी वैध "ट्रेडिंग लाइसेंस" प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि किसी कारणवश आपूर्तिकर्ता/फर्म निविदा दस्तावेजों के कोटेशन/तकनीकी बोली के साथ ट्रेडिंग लाइसेंस प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो ठेकेदार को लिखित रूप में यह आश्वासन देना होगा कि वह क्रय आदेश (PO) जारी होने से पहले इसे प्रस्तुत करेगा। यह ध्यान दिया जाए कि चयन होने के बावजूद, ट्रेडिंग लाइसेंस की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए बिना क्रय आदेश जारी नहीं किया जाएगा।/Non-tribal contractors should produce/furnish valid "Trading License" issued by the Khasi Hills Autonomous District Council (KHADC). If somehow the suppliers/firms fail to submit the Trading License with the quotation/technical bid of the tender documents, the contractor must assure in writing that they will submit the same before releasing of PO. It may be noted that even though selected, PO shall not be released without furnishing the attested copy of Trading License.		

40	**(अनुबंध का उल्लंघन / Breach of the Contract)**		
i	ठेकेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय अथवा अनुबंध प्रदान किए जाने के पश्चात किसी भी चरण में एनईसैक को दिए गए विवरणों से वह बाध्य रहेगा। यदि प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज को किसी भी चरण में गलत पाया जाता है, तो इसे अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए ठेकेदार कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। / The Contractor will be bound by the details furnished by him/her to NESAC while submitting the tender or at subsequent stage of awarding the contract. In case, any of such documents furnished by him / her is found to be false at any stage, it would be deemed to be a breach of terms of contract making him/her liable for legal action.		

ii	निविदा/अनुबंध की किसी भी शर्त एवं नियम का उल्लंघन अनुबंध के उल्लंघन (Breach of Contract) के रूप में माना जाएगा, जिसके लिए ठेकेदार कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें अनुबंध को रद्द करना तथा बोली सुरक्षा (EMD) एवं निष्पादन सुरक्षा जमा (Performance Security Deposit) को जब्त करना भी शामिल हो सकता है। /Violate any terms and conditions of the Tender/Contract will be deem as breach of the Contract making him/her liable for legal action including cancellation of the contract and forfeiting of bid security (EMD) /performance security deposit		
41	ठेकेदार को एनईसैक परिसर में प्रवेश करते समय वैध पहचान पत्र के साथ सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करना होगा तथा ड्यूटी के दौरान उच्च स्तर का अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य होगा। /Contractor will be required to follow the security requirements with a valid Identity Card while entering NESAC campus and shall maintain high order of discipline while on duty.		
42	यदि ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्ति कोई ऐसा कृत्य करता है जो चूक (Omission) या कार्य (Commission) के रूप में कदाचार, अनुशासनहीनता, अक्षम्यता, हितों का टकराव (Conflict of Interest) या सुरक्षा जोखिम के अंतर्गत आता है, तो ठेकेदार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें उन्हें कार्य स्थल से हटाना या उन्हें तत्काल प्रतिस्थापित करना शामिल होगा, यदि वे एनईसैक के लिए अस्वीकार्य पाए जाते हैं। /In case, if the person employed by the Contractor commits any act of omission/Commission that amounts to misconduct/indiscipline/ incompetence, conflict of interest, security risks, the Contractor shall be liable to take appropriate disciplinary action against such persons including their removal from site of work, or replace them immediately who are found unacceptable to NESAC.		
43	न्यूनतम वेतन तथा अन्य श्रम-संबंधी वैधानिक शर्तों का पालन, संबंधित राज्य/केंद्रीय अधिनियमों के अनुसार समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित, ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इस संबंध में ठेकेदार की किसी भी चूक के लिए एनईसैक किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। /Minimum wages and other labour related statutory conditions as per the respective state/central acts as amended from time to time shall be strictly adhered to, by the Contractor. NESAC will not be responsible in any way for such lapses on the part of the Contractor.		
44	ठेकेदार लागू कानून के अंतर्गत सभी वैधानिक रजिस्टरों का संधारण (रखरखाव) करेगा। आवश्यकता पड़ने पर वह इन्हें एनईसैक के संबंधित प्राधिकरण अथवा किसी अन्य विधिक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा। / The Contractor shall maintain all statutory registers under the applicable Law. The Contractor shall produce the same, on demand, to the concerned authority of NESAC or any other authority under Law.		
45	एनईसैक किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाया गया है, उनके कार्यों/कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति, हानि, दावा, वित्तीय या अन्य चोट अथवा किसी भी प्रकार के मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।/NESAC shall not be responsible for any damages, losses, claims, financial or other injury to any person deployed by Contractor in the course of their performing the functions/duties, or for payment towards any compensation.		
46	**(क्षतिपूर्ति बांड / Indemnity Bond):** सेवा प्रदाता ₹200/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एनईसैक को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा, जो अनुबंध की अवधि के दौरान लागू सभी या किसी भी प्रचलित कानूनों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी कार्रवाई, दावे या कार्यवाही के विरुद्ध होगा। / The service provider shall indemnify NESAC on Rs.200/- non Judicial Stamp paper against any action, claims, or proceedings relating to infringement of all or any of the prevailing laws during the currency of contract		
47	इन शर्तों के अंतर्गत अथवा क्रय आदेश (Purchase Order) में निहित किसी भी शर्त के संबंध में, या इस अनुबंध से उत्पन्न किसी भी प्रश्न, विवाद या मतभेद (जिन मामलों के निर्णय के लिए इन शर्तों में विशेष प्रावधान किया गया है, उन्हें छोड़कर) को निदेशक, एनईसैक या उनके द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति के एकल मध्यस्थ (Sole Arbitrator) के समक्ष संदर्भित किया		

	जाएगा। इस पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी कि मध्यस्थ (Arbitrator) एक सरकारी कर्मचारी है, या उसने उस विषय से संबंधित कार्य किया है, या अपने सरकारी कर्तव्यों के दौरान उसने विवादित मामलों पर कोई राय व्यक्त की है। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी (Final and Binding) होगा। /In the event of any question, dispute or differences arising under these conditions or any conditions contained in the Purchase Order or in connection with this contract (except as to any matters the decision of which is specially provided for by these conditions) the same shall be referred to the sole arbitration of the Director, NESAC or any other person appointed by him. It will be no objection that the arbitrator is a Government Servant that he had to deal with matter which the contract relates or that in the course of his duties as a Government Servant he has expressed views on all over any of the matters in dispute of difference. The award of the Arbitrator shall be final and binding on the parties of this contract.		
48	भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को प्रदान किए गए लाभों का लाभ प्राप्त करने के लिए, बोलीदाता को किसी भी उस प्राधिकरण द्वारा जारी, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), भारत सरकार द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत हो, द्वारा जारी विशिष्ट सेवाओं के लिए वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति (Self Attested Copy) निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी। /In order to avail of the benefits extended by Government of India to the Micro, Small and Medium Enterprises, bidder should submit self attested copy of valid certificate of registration for specific services asked in the tender by any authority so authorized by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise (MSME), Government of India to issue such certificate.		

49	एनईसैक को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह अनुलग्नक 'A' में उल्लिखित वाहनों के अतिरिक्त समकक्ष श्रेणी (Equivalent Category) के अंतर्गत वाहनों के मेक/प्रकार (Make/Type) का निर्णय स्वयं कर सके। /NESAC reserve the right to decide on the make/type of vehicles under equivalent category in additional to the ones mentioned in Annexure A.		
50	सेवा प्रदाता/बोलीदाता को यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उनके "निकट संबंधी" एनईसैक में कार्यरत/नियोजित हैं या नहीं। "निकट संबंधी" का अर्थ नीचे शर्तों एवं नियमों के क्रम संख्या 49 में समझाया गया है। इस घोषणा का प्रारूप (Pro-forma) परिशिष्ट-II में उपलब्ध कराया गया है। / The Service Provider/Bidder shall furnish a declaration of their "NEAR RELATIVE" working/employed in NESAC. The meaning of NEAR RELATIVE" is explained below in Sl No.51 of the terms and Condition. The Declaration pro-forma is made available at Annexure-II.		
51	निकट संबंधी (Near Relative)" का अर्थ निम्नानुसार है: क) "पति/पत्नी (Spouse) ख) वह व्यक्ति जो सेवा प्रदाता के भागीदार/ शेयरधारक/ निदेशक/कार्यकारी/पदाधिकारी से इस प्रकार संबंधित हो— जैसे पिता, माता, पुत्र/पुत्र एवं उसकी पत्नी (बहू), पुत्री/पुत्री एवं उसका पति (दामाद), भाई एवं भाई की पत्नी, बहन, बहन की सास (सिस्टर-इन-लॉ), तथा बहन का पति (जीजा/ब्रदर-इन-लॉ)। /The near relative (s) means: a) "Spouse b) The one is related to the other in a manner as father, mother, son(s) & son's wife (daughter-in-law), daughter(s) & daughter's husband (son-in-law), brother(s) and brother's wife, sister, sister-in-law, sister's husband (brother-in-law) in relation to the Partner / Shareholders / Directors / Executives / Office bearers of the Service Provider".		
52	मेक इन इंडिया (MII) शर्तें/MAKE IN INDIA (MII) CONDITIONS इस खरीद के लिए केवल Class I एवं Class II स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की बोलियाँ स्वीकार्य होंगी। अतः उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DIPP), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या P45021/2/2017 PP(BE II) दिनांक 04.06.2020 के माध्यम से जारी "सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017" तथा इसके पश्चात किए		

	गए संशोधनों एवं निर्देशों में निहित प्रावधानों का पालन किया जाएगा। तदनुसार, प्रस्ताव का मूल्यांकन एवं प्रक्रिया उपरोक्त भारत सरकार के आदेश के अनुरूप की जाएगी (जैसा नीचे उल्लेखित है)। बोलीदाता को उक्त आदेश तथा उसके संशोधनों के अनुसार अनुपालन एवं शपथ-पत्र (undertaking) प्रस्तुत करना होगा।/For this procurement, bids from Class I & class II Local Suppliers are admissible. Hence provisions contained in Public Procurement (Preference to Make in India), Order 2017 issued by Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DIPP), Ministry of Commerce & Industries vide letter No. P45021/2/2017 PP(BE II) dated 04.06.2020 and subsequent amendment & directives shall be followed. Accordingly, offer will be evaluated & processed in conformation with above referred GOI order (Specially mentioned below). The bidder shall provide compliance and undertaking as per order and hereafter amendments: **a)** आदेश सं. F.No.6/18/2019-PPD दिनांक 23.07.2020, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, सामान्य वित्त नियम (GFRs) के अंतर्गत सार्वजनिक खरीद प्रभाग द्वारा जारी। / Order No. F.No.6/18/2019-PPD dated 23.07.2020 of Department of Expenditure, Ministry of Finance under Public Procurement Division for the General Financial Rules (GFRs). **b)** क्लास I स्थानीय आपूर्तिकर्ता (Class I Local Supplier) वह आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता है, जिसके द्वारा प्रस्तुत किए गए माल, सेवाएँ या कार्यों में स्थानीय सामग्री (local content) 50% या उससे अधिक होती है, जैसा कि आदेश में परिभाषित है। **/** Class I local supplier means a supplier or service provider whose goods, services or works offered for procurement have local content equal to or more than 50%, as defined under the order. **c)** क्लास II स्थानीय आपूर्तिकर्ता (Class II Local Supplier) वह आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता है, जिसके द्वारा प्रस्तुत किए गए माल, सेवाएँ या कार्यों में स्थानीय सामग्री 20% से अधिक लेकिन 50% से कम होती है, जैसा कि इस आदेश में परिभाषित है। **/** Class II local supplier means a supplier or service provider whose goods, services or works offered for procurement have local content more than 20% but less than 50%, as defined under this Order. **d)** आयातित उत्पादों की पेशकश करने वाले बोलीदाता गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता (Non-local supplier) की श्रेणी में आएंगे। वे परिवहन, बीमा, स्थापना, कमीशनिंग, प्रशिक्षण तथा बिक्री पश्चात सेवा सहायता जैसे AMC/CMC आदि को स्थानीय मूल्य संवर्धन (local value addition) के रूप में दर्शाकर स्वयं को Class I या Class II स्थानीय आपूर्तिकर्ता नहीं बता सकते। **/** Bidders offering imported products will fall under the category of Non-local suppliers. They cannot claim themselves as Class I Local suppliers/Class II Local suppliers by claiming services such as transportation, insurance, installation, commissioning, training, and after-sales service support like AMC/CMC etc. as local value addition. **e) स्थानीय सामग्री का सत्यापन: / Verification of local content:** बोलीदाताओं को स्थानीय सामग्री के संबंध में स्व-घोषणा (self-declaration) प्रस्तुत करनी होगी, तथा निर्धारित सीमा से अधिक की खरीद के मामले में भारत सरकार के नियमों के अनुसार उपयुक्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं/अथवा ऑडिट के माध्यम से इसका सत्यापन किया जा सकता है। **/** Bidders shall be required to provide self-declaration regarding local content, and in case of procurement above prescribed limits, the same may be verified through appropriate documentary evidence and/or audit as per Government of India rules.		

	i. क्लास । स्थानीय आपूर्तिकर्ता / क्लास ॥ स्थानीय आपूर्तिकर्ता को निविदा, बोली या प्रस्ताव के समय स्थानीय सामग्री का प्रतिशत दर्शाना होगा तथा स्व-प्रमाणन (self-certification) देना होगा कि प्रस्तुत किया गया उत्पाद/सेवा क्लास । / क्लास ॥ स्थानीय आपूर्तिकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसा भी लागू हो। उन्हें उन स्थानों का विवरण भी देना होगा जहाँ स्थानीय मूल्य संवर्धन (local value addition) किया गया है।/The Class I local supplier/ Class II local supplier at the time to tender, bidding or solicitation shall be required to indicate percentage of local content and provide self certification that the item offered meets the local content requirement for Class I local supplier / Class II local supplier as the case may be. They shall also give details of the location(s) at which the local value addition is made. ii) यदि बोली का मूल्य ₹10 करोड़ से अधिक है, तो क्लास । स्थानीय आपूर्तिकर्ता / क्लास ॥ स्थानीय आपूर्तिकर्ता को कंपनी के मामले में स्टैच्यूटरी ऑडिटर या कॉस्ट ऑडिटर से तथा कंपनी के अलावा अन्य आपूर्तिकर्ताओं के मामले में प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से स्थानीय सामग्री (local content) के प्रतिशत का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।/In case bid value is in excess of Rs. 10 Cr., Class I local supplier/ Class II local supplier shall be required to provide a certificate from the statutory auditor or cost auditor of the company (in the case of companies) or from a practicing cost accountant or practicing chartered accountant (in respect of suppliers other than companies) giving the percentage of local content. ii. गलत घोषणा (false declaration) सामान्य वित्त नियम (GFR) के नियम 175(1)(i)(h) के अंतर्गत आचार संहिता (Code of Integrity) का उल्लंघन मानी जाएगी, जिसके लिए बोलीदाता या उसके उत्तराधिकारी को नियम 151(iii) के अनुसार अधिकतम दो वर्षों तक प्रतिबंधित (debarred) किया जा सकता है, साथ ही कानून के अंतर्गत अन्य उपयुक्त कार्रवाई भी की जा सकती है। /False declarations will be in breach of the code of Integrity under Rule 175(1) (i) (h) of the General Financial Rules (GFR) for which a bidder or its successors can be debarred for up to two years as per Rule 151 (iii) of the general Financial Rules along with such other actions as may be permissible under Law.		
53	**(फॉल क्लॉज / Fall Clause):-** इस अनुबंध के अंतर्गत वसूली जाने वाली दरें किसी भी स्थिति में उन न्यूनतम दरों से अधिक नहीं होंगी, जिन पर ठेकेदार द्वारा समान प्रकार की वाहन किराया सेवाएँ किसी अन्य सरकारी संगठन को अनुबंध अवधि के दौरान प्रदान की जाती हैं। यदि सेवा प्रदाता किसी अन्य संगठन को कम दर पर सेवाएँ प्रदान करता है, तो इस अनुबंध में सहमत दरों को उसी न्यूनतम दर तक घटाया जाएगा तथा ऐसी न्यूनतम दरों की सूचना तुरंत एनईसैक को दी जाएगी, ताकि एनईसैक का क्रय विभाग अनुबंध दरों में आवश्यक संशोधन कर सके।/The rates charged under this contract shall in no event exceed the lowest rates at which the vehicle hire charges/services of identical description provided by the contract or to any other Government organization during the period of the contract. In case the service provider offers a lower rate to any organization, the rates agreed in this contract shall be reduced to the lower rate and such lowest rates shall be informed to NESAC immediately, to enable NESAC, Purchase to amend the contract rates suitably		
54	**(अप्रत्याशित घटना / Force Majeure)** **54.1) सामान्य** / General		

(i) किसी भी पक्ष द्वारा इस अनुबंध की किसी भी शर्त या नियम का पालन करने या उसे पूरा करने में विफलता या चूक होने पर, दूसरे पक्ष को उस पक्ष के विरुद्ध कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा, और न ही ऐसी विफलता या चूक को इस अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा, यदि और जिस सीमा तक ऐसी विफलता या चूक फ़ोर्स मेज्योर (अप्रत्याशित एवं नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों) के कारण उत्पन्न हुई हो।

/ (i) No failure or omission by either Party to carry out or to perform any of the terms or conditions of this Contract shall give the other Party a claim against such Party, or be deemed a breach of this Contract, if and to the extent that such failure or omission arises from Force Majeure.

(ii) जो पक्ष फ़ोर्स मेज्योर के कारण अपने दायित्वों का पालन करने में असमर्थ हो, वह तुरंत, और किसी भी स्थिति में 48 घंटों के भीतर, दूसरे पक्ष को ऐसी परिस्थिति की प्रकृति तथा उसकी संभावित अवधि के बारे में सूचित करेगा, तथा इस अनुबंध के पालन को यथाशीघ्र पुनः प्रारंभ करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा। ऐसे कारणों से कार्य निष्पादन करने में असमर्थ पक्ष, इसके अतिरिक्त, दूसरे पक्ष को उस कारण से संबंधित ऐसी जानकारी भी उपलब्ध कराएगा जिसकी दूसरे पक्ष द्वारा युक्तिसंगत रूप से अपेक्षा की जाए।/(ii) The Party prevented from performing due to Force Majeure shall promptly, and in any case within 48 hours, notify the other Party of the nature and anticipated duration thereof and shall use all reasonable endeavours to resume performance of this Contract as soon as reasonably possible. The Party prevented from performing due to any such cause shall, in addition, furnish the other Party with such information in respect of such cause as the other Party may reasonably require.

54.2) परिभाषा इस अनुबंध में प्रयुक्त "फ़ोर्स मेज्योर (Force Majeure)" शब्द का अर्थ निम्नलिखित परिस्थितियाँ होंगी, और केवल वही परिस्थितियाँ मानी जाएँगी: / Definition The term "Force Majeure", as used in this Contract, shall mean and shall only mean the following:

(i) दंगा, युद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रुओं की कार्रवाई, शत्रुतापूर्ण गतिविधियाँ (चाहे युद्ध घोषित किया गया हो या नहीं), आतंकवादी कृत्य, गृहयुद्ध, विद्रोह, क्रांति, सैन्य आक्रमण, सशस्त्र बगावत, या सैन्य अथवा अवैध रूप से हथियाई गई सत्ता के कृत्य; या /riot, war, invasion, act of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), acts of terrorism, civil war, rebellion, revolution, military invasion, insurrection of military or usurped power; or

(ii) आयनकारी विकिरण (Ionizing Radiation) या किसी परमाणु अपशिष्ट से उत्पन्न रेडियोधर्मी प्रदूषण, अथवा किसी विस्फोटक, परमाणु संयोजन (Nuclear Assembly) या उसके परमाणु घटक के रेडियोधर्मी, विषैले, विस्फोटक या अन्य खतरनाक गुणों से उत्पन्न प्रभाव (सिवाय उन विकिरण स्रोतों के, जिनका उपयोग आपूर्तिकर्ता/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सेवाओं के संबंध में किया गया हो); या

/ ionizing radiations or contamination by radio-activity from any nuclear waste, or radio-active, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive, nuclear assembly or nuclear component thereof (other than arising out of any radiation source used by the Supplier(s) in relation to the Services); or

(iii) भूकंप, बाढ़ (सामान्य मौसमी वर्षा/बारिश को छोड़कर), सुनामी, या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा, किंतु मौसम या समुद्री परिस्थितियों को मात्र उनकी गंभीरता की परवाह किए बिना इसमें शामिल नहीं माना जाएगा; या

/ earthquake, flood (excluding normal seasonal rain/shower), tsunami, or any other natural disaster, but excluding weather or sea conditions as

	such, regardless of severity; or (iv) आग लगना या विस्फोट (ऐसी आग या विस्फोट जो प्रभावित पक्ष या उसके उप-ठेकेदारों की लापरवाही के कारण न हुआ हो); या/ fire or explosion (being fire or explosion not caused by the negligence of the affected Party or its subcontractors); or (v) महामारी या संक्रामक रोग; /Epidemic or pandemic; or (vi) ऐसी सरकारी कार्रवाई जो यथोचित रूप से पूर्वानुमानित या नियंत्रित नहीं की जा सकती और जिससे अनुबंध का पालन असंभव या अत्यंत कठिन हो जाए। स्पष्ट किया जाता है कि ठेकेदार के कर्मचारियों, श्रमिकों या उसके उप-ठेकेदार के कर्मचारियों/श्रमिकों की किसी भी प्रकार की हड़ताल, जो सेवाओं के किसी महत्वपूर्ण या आवश्यक हिस्से को प्रभावित करती है, उसे Force Majeure की परिभाषा के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में ठेकेदार इस कारण निगम को होने वाली किसी भी हानि या नुकसान के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा।/ Acts of Government which could not have been reasonably anticipated or controlled which makes performance impossible or impracticable. For the sake of clarification, the Supplier(s) acknowledges that any strike(s) by Supplier(s)'s personnel, labour, or its subcontractor's personnel, labour, which affects a substantial or essential portion of the Services to be provided to the Corporation, shall not be an event stipulated under the definition of Force Majeure. In such an event, the Supplier(s) shall be fully responsible for any loss or damage that the Corporation may suffer on this account. 54.3) फ़ोर्स मेज्योर के दौरान भुगतान जब तक कि अनुबंध में अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, आपूर्तिकर्ता/आपूर्तिकर्ताओं को उस अवधि के लिए किसी भी भुगतान का अधिकार नहीं होगा, जिसके दौरान फ़ोर्स मेज्योर के परिणामस्वरूप सेवाएँ प्रदान नहीं की गई हों। यदि फ़ोर्स मेज्योर की परिस्थितियों के दौरान आपूर्तिकर्ता/आपूर्तिकर्ताओं से सेवाएँ प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, तो ऐसी सेवाओं के लिए उनका पारिश्रमिक उन दरों पर भुगतान किया जाएगा, जो आपसी सहमति से बातचीत कर पूर्व में निर्धारित की गई हों, और जिन पर सेवाएँ प्रदान किए जाने से पहले सहमति बनी हो। /Payment during Force Majeure Unless otherwise specified in the Contract, the Supplier(s) shall not be entitled to any payment in respect of any period where the Services are not carried out as a result of Force Majeure. The Supplier(s) is required to provide Services during Force Majeure condition(s), the Supplier(s)'s remuneration for the same will be paid at the rates as negotiated and fixed by mutual agreement prior to rendering of such Services by the Supplier(s)		
55	केवल वे बोलीदाता, जो सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए कोटेशन प्रस्तुत करेंगे, को ही विचार के सिर्फ़ उन्हीं बोली लगाने वालों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने सभी कैटेगरी के वाहनों के लिए बोली लगाई है, सिवाय उन कैटेगरी के जिन्हें 'NA' (लागू नहीं) बताया गया है। /Only bidders who quote for all categories of vehicle shall only be considered except those mentioned as 'NA"		
56	एनईसैक को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह बड़े पैमाने पर खरीद के लिए उच्च दर उद्धृत करने वाले निविदादाताओं को न्यूनतम स्वीकार्य दर पर प्रति-प्रस्ताव दे सके। यदि ऐसे प्रति-प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो क्रेता को मात्रा के वितरण अनुपात/हिस्सेदारी निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। /NESAC reserves the right to counter-offer the lowest acceptable rate for bulk ordering to the higher tenderer(s). In the event of rejection of such counter offer(s), the purchaser will reserve their right to decide on the quantity distribution ratio/proportion		
57	अनुपालनः/Compliance to		
	a) परिशिष्ट II / Annexure II		

	b) परिशिष्ट III / Annexure III		
	c) परिशिष्ट IV / Annexure IV		
	d) परिशिष्ट V / Annexure V		

****

NESAC

"निकट संबंधी की घोषणा"/DECLARATION ON "NEAR RELATIVE"

1. मैं, ______________________________, अधोहस्ताक्षरी, जो ______________________________ (फर्म का नाम) के प्रोप्राइटर /निदेशक / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ, यह घोषित करता / करती हूँ कि मेरे (या फर्म के प्रोप्राइटर / निदेशक / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के) **कोई भी "निकट संबंधी" (जैसा कि नियम एवं शर्तों के क्रम संख्या 49 में परिभाषित है)** उत्तर-पूर्व अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग, री-भोई जिला, उमियम - 793103, मेघालय में कार्यरत नहीं हैं / I, ______________________________ the undersigned being the Proprietor/ Director/ authorized signatory of the agency/ Service Provider, of ______________________________(name of the firm) hereby declare that, there is **NO NEAR RELATIVE (as defined in Sl. No.49 of the Terms and conditions)** of the Proprietor/Director/authorized signatory of the agency/ Service Provider working at North Eastern Space Applications centre, Government of India, Department of Space, Ri Bhoi District Umiam 793103, Meghalaya

या/ OR

2. मैं, ______________________________, अधोहस्ताक्षरी, जो ______________________________ (फर्म का नाम) के प्रोप्राइटर/निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ, यह घोषित करता/करती हूँ कि उत्तर-पूर्व अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग, री-भोई जिला, उमियम - 793103, मेघालय में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी मेरे "निकट संबंधी" हैं (जैसा कि नियम एवं शर्तों के क्रम संख्या 49 में परिभाषित है)/I, ______________________________the undersigned being the Proprietor/Director/authorized signatory of the agency/ Service Provider, of ______________________________(name of the firm) hereby declare that, the following official(s) working at North Eastern Space Applications centre, Government of India, Department of Space, Ri Bhoi District Umiam 793103, Meghalaya **are my near relative (as defined in Sl. No.49 of the Terms and conditions)**

(क्र. सं.) **Sl No.**	**एनईसैक अधिकारी का नाम /NAME OF THE NESAC OFFICIAL**	**संबंध (निविदा की शर्तों एवं नियमों के क्रम संख्या 49 में परिभाषित अनुसार)/RELATIONSHIP (as defined in Sl. No.49 of the Tender Terms and conditions)**

3. उपरोक्त घोषणा मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। मैं/हम इस तथ्य से भली-भांति अवगत हैं कि उपरोक्त के संबंध में कोई भी गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर मेरी निविदा किसी भी चरण में निरस्त की जा सकती है तथा लागू कानून के अंतर्गत अभियोजन (prosecution) की कार्यवाही भी की जा सकती है। /The above declaration is true and authentic to the best of my knowledge and belief. I / we, am / are well aware of the fact that furnishing of any false information against the above would lead to rejection of my tender at any stage besides liabilities towards prosecution under appropriate law.

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
/Signature of authorized person

दिनांक/Date:

पूरा नाम /Full Name:

NESAC

एसी एवं नॉन-एसी टैक्सियों की आपूर्ति हेतु वार्षिक अनुबंध /ANNUAL CONTRACT FOR PROVIDING OF AC & NON-AC TAXIES

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली कंपनी/फर्म/एजेंसी का नाम: ______________________
   Name of Tendering Company/Firm / Agency
   (पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करें) /(Attach certificate of registration)

2. कंपनी/फर्म/एजेंसी के प्रोप्राइटर/निदेशक का नामः :______________________
   /Name of Proprietor / Director of Company/Firm/Agency ______________________
   ____

3. पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता /Full Address of Reg. Office ______________________
   ____
   ____

   टेलीफोन एवं मोबाइल नंबर: /Telephone & Mobile No. :______________________
   फैक्स नंबर /Fax No. :______________________
   ई-मेल आईडी/E-Mail Id :______________________

4. परिचालन / शाखा कार्यालय का पूरा पता /Full address of Operating /:______________________
   Branch Offices ______________________
   ____
   ____

   टेलीफोन एवं मोबाइल नंबर /Telephone & Mobile No. :______________________
   फैक्स नंबर /Fax No. :______________________
   ई-मेल आईडी /E-Mail Id :______________________

5. पैन / GIR नंबर /PAN / GIR No. :______________________
   (प्रति संलग्न करें) /(Attach copy)

6. सेवा कर पंजीकरण संख्या /Service Tax Registration No. :______________________
   (सत्यापित प्रति संलग्न करें) /(Attach attested copy)

7. बैंक खाता संख्या /Bank Account No. with :______________________
   बैंक का नाम व पता /Name and address of the Bank ______________________
   (पिछले छह माह के बैंक स्टेटमेंट की सत्यापित प्रति संलग्न करें) /with Statements for the Last Six months (Attach Attested Copy)

NESAC

8. पिछले 3 वर्षों के दौरान कंपनी/सरकारी संस्थानों के साथ किए गए प्रमुख समान अनुबंधों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दें। प्रत्येक मामले के लिए कंपनी द्वारा किए गए अनुबंध की प्रति भी संलग्न करें। /Give details of the major similar contracts from Companies/Govt. Establishments handled by the tendering Company/Firm/Agency during the last 3 years in the following format: Also attach copy of agreement made by the company for each case.

क्रं.सं. / Sl. No.	**ग्राहक का विवरण, जिसमें उसका पता, टेलीफोन और फैक्स नंबर शामिल हों। / Details of client along with address, telephone and Fax numbers**	**अनुबंध राशि (लाख रुपये में) / Contract Amount Rupees in Lakh**	**अनुबंध की अवधि / Duration of Contract**	
			से / **From**	**तक/ To**
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर, मुहर सहित
Signature of the Tenderer
along with Rubber Stamp

NESAC

घोषणा / DECLARATION

1. मैं, ______________________________ श्री ____________________________ का पुत्र/पुत्री/पत्नी, उपरोक्त एजेंसी/फर्म का प्रोपराइटर/निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, यह घोषणा करने तथा इस निविदा दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम हूँ।

   I, _________________________Son / Daughter / Wife of Shri_______________________ Proprietor/Director/authorized signatory of the agency/Firm, mentioned above, is competent to sign this declaration and execute this tender document;

2. मैंने एनईसैक के लिए टैक्सी किराये पर लेने संबंधी निविदा के सभी नियम एवं शर्तों तथा कार्य के दायरे को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और उन्हें भली-भांति समझ लिया है तथा मैं उनके पालन करने का वचन देता/देती हूँ।

   I have carefully read and understood all the terms and conditions, scope of work of the tender for Hiring of Taxies required for NESAC and undertake to abide by them;

3. मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, उद्धरण के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी/दस्तावेज़ सत्य एवं प्रामाणिक हैं। मैं/हम इस तथ्य से भली-भांति अवगत हैं कि किसी भी प्रकार की झूठी जानकारी/कूटरचित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर किसी भी चरण में मेरी निविदा निरस्त की जा सकती है, साथ ही लागू कानून के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

   The information / documents furnished along with the quotation are true and authentic to the best of my knowledge and belief. I / we, am / are well aware of the fact that furnishing of any false information / fabricated document would lead to rejection of my tender at any stage besides liabilities towards prosecution under appropriate law.

4. मैं एतद्द्वारा यह वचन देता/देती हूँ कि हमारी कंपनी/फर्म के विरुद्ध, प्रोपराइटर या किसी भी निदेशक (कंपनी के मामले में) के विरुद्ध कोई कानूनी मुकदमा/आपराधिक मामला न तो लंबित है और न ही विचाराधीन है, तथा न ही उन्हें किसी नैतिक अधमता (moral turpitude) के आधार पर या लागू कानूनों के उल्लंघन के लिए पूर्व में दोषी ठहराया गया है।

   I hereby Undertake that our Company/Firms do not have any legal suit/criminal case either pending against us/proprietor or any of our Directors (in the case of Company) or being contemplated and have not been earlier convicted on the grounds of moral turpitude for violation of laws in force.

5. हमें किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU), केंद्र/राज्य सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों अथवा किसी अन्य संगठन द्वारा काली सूची (Black-listed) में शामिल नहीं किया गया है।

   We are not black-listed by any Central/State Government/Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies under Central/State Government/Any Other Organization.

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
/ Signature of authorized person

दिनांक / Date:

पूरा नाम / Full Name:

मुहर / Seal

NESAC

स्थान / Place:

NESAC

वचन-पत्र / UNDERTAKING

मैं, ______________________________ श्री ___________________________ का पुत्र/पुत्री/पत्नी, ________________________________ (एजेंसी/फर्म का नाम) का प्रोपराइटर/निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, यह घोषित करता/करती हूँ कि प्रोपराइटर/फर्म के किसी भी निदेशक के विरुद्ध कोई कानूनी मुकदमा/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा न ही उन्हें किसी नैतिक अधमता (moral turpitude) के आधार पर या किसी लागू कानून के उल्लंघन के लिए पूर्व में दोषी ठहराया गया है।

I, __________________________Son/Daughter/Wife of Shri__________________________, Proprietor/Director /authorized signatory of ____________________ (agency/ Firm 's name), is having no legal suit/criminal cases pending against the propriety/any of its Directors or having not been earlier convicted on any grounds of moral turpitude or for violation of any laws in force.

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
/ Signature of authorized person

दिनांक / Date:

पूरा नाम / Full Name:

मुहर / Seal

स्थान / Place:

PROFORMA FOR
PERFORMANCE BANK GUARANTEE
(On ₹ 200/- non-judicial stamp)

1. WHEREAS on or about the .... (day, month & year), M/s. .... (name & address of the firm), a company registered under Companies Act and having its registered office at .... (hereinafter referred to as 'The Contractor'), entered into an agreement bearing No. .... dated .... (hereinafter referred to as 'The Contract') with the Director, North Eastern Space Applications Centre (NESAC), Govt. of India, Dept. of Space, Umiam-793103, Meghalaya (hereinafter referred to as 'The Government') for supply of .... (hereinafter referred to as 'The Equipment').

2. AND WHEREAS under the terms and conditions of the Contract, an amount of ₹........... (Rupees .... only) representing balance .... % payment out of the total value of the Contract of ₹............ (Rupees .... only) is to be paid to the Contractor on the final acceptance of the equipment and on the Contractor furnishing a bank guarantee in a manner herein contained towards satisfactory performance of the equipment during warranty period, viz., ... months from the date of acceptance/commissioning of the said equipment or .... months from the date of despatch of the last lot of consignment, whichever is earlier (specify here the warranty clause contained in the Order).

3. NOW WE, ... (name & address of the Bank), in consideration of the promises and the payment of said sum of ₹ .... (Rupees .... only) by the Government to the Contractor do hereby agree and undertake to pay to the Accounts Officer, ... (name & address of the Centre/Unit) on behalf of the Government (hereinafter referred as the "Accounts Officer") the amount due and payable under the guarantee without any demur, merely on a demand from the said Accounts Officer stating that the amount claimed is due by way of loss or damage caused to or suffered by the Government by reason of unsatisfactory performance of the equipment during the warranty period. Any such demand made on the bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the bank under this guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding ₹ .... (Rupees .... only).

4. WE, ... (Bank) undertake to pay to the Government any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Contractor, in any suit or proceedings pending before any Court of Law or Tribunal relating thereto, our liability under this present guarantee bond being absolute and unequivocal. The payment so made by us under this bond shall be valid discharge of our liability for payment thereunder and the Contractor shall have no claim against us for making such payment.

5. WE, ... (Bank) hereby further agree that the decision of the said Accounts Officer as to whether the said equipment is giving satisfactory performance or not during the warranty period and as to the amount of damages suffered by the Government on account of unsatisfactory performance of the said equipment shall be final and binding on us.

6. AND WE, the .... (Bank) do hereby agree that our liability hereunder shall not be discharged by virtue of any agreement between the Government and the Contractor whether with or without our knowledge and/or consent or by reason of the Government showing any indulgence or forbearance to the Contractor whether as to payment, time or performance, or any other matter whatsoever relating to the Contract which, but for this provision, would amount to discharge of the surety under the law.

7. THIS GUARANTEE will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or Contractor.

8. OUR GUARANTEE shall remain in force until .... (two months beyond the Contract warranty period) and unless a claim under the guarantee is lodged with us on or before the above date, all right of the Government under the guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all our liabilities thereunder.

Dated the .... (day, month & year)

……………………..……………………….. (Signature of the Authorized Officer of the Bank)
………………………………………… (Name and designation of the officer)

Seal Name, Address of the Bank (Head Office) with Phone/Fax Nos. Name & Address of the Branch with Phone/Fax Nos.

टिप्पणी / NOTE:

1. निविदा दस्तावेज़ एनईसैक की वेबसाइट http://www.nesac.gov.in पर उपलब्ध होंगे। इच्छुक निविदाकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार वेबसाइट से निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड कर सकते हैं तथा निविदा अधिसूचना में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित निविदा शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट के रूप में) एवं ईएमडी (डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के रूप में) सहित अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी को एक अलग लिफाफे में एक कवरिंग पत्र के साथ, कोटेशन वाले लिफाफे के साथ भेजा जाना चाहिए।/ Tender documents will be hosted on NESAC Web site of http://www.nesac.gov.in. Interested tenderers may, at their option, download the tender documents from website and submit offers along with prescribed tender cost (in the form of Demand Draft) and EMD (in form of Demand Draft/Bank Guarantee) as per details in the tender notification. The Demand Draft/Bank Guarantee should be sent in a separate cover with a covering letter along with the cover containing the quotation.
2. निविदा शुल्क केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में देय होगा, जो निदेशक, उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र(एनईसैक) के पक्ष में बनाया गया हो तथा एसबीआई उमियम (शाखा कोड: 2010) में देय (payable) हो। निविदा शुल्क के भुगतान का कोई अन्य माध्यम स्वीकार्य नहीं होगा। / Tender fee shall be payable only in the form of bank draft drawn in favour of Director, North Eastern Space Applications Centre (NESAC), payable at SBI Umiam (BRANCH CODE : 2010). No other mode of payment for tender fee is acceptable.
3. विक्रेता/फर्म का नाम एवं निविदा संख्या डिमांड ड्राफ्ट के पीछे की ओर अंकित किया जाना चाहिए। / Vendors/firms name and tender no. shall be indicated on the reverse side of the Demand Draft.
4. निविदा दस्तावेज़ों के लिए अनुरोध करते समय कृपया लिफाफे पर निविदा संख्या एवं अंतिम तिथि अंकित न करें। इसके स्थान पर "निविदा दस्तावेज़ों के लिए अनुरोध" अंकित करें। / While requesting for tender documents, please do not superscribe tender number and due date on the envelop. Instead indicate "Request for Tender Documents".
5. विस्तृत विनिर्देश, नियम एवं शर्तें निविदा दस्तावेज़ों में दी गई हैं। / Detailed specification, terms and conditions are furnished in the tender documents.
6. डिमांड ड्राफ्ट (DD) की तिथि विज्ञापन/सूचना/वेबसाइट पर प्रकाशित तिथि से पूर्व की नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक निविदा दस्तावेज़ के लिए अलग-अलग अनुरोध एवं अलग-अलग डिमांड ड्राफ्ट भेजे जाने चाहिए। / DD should not be dated prior to the date of advertisement / intimation / website. Separate requests and demand drafts shall be sent for each tender document.
7. एनईसैक डाक में देरी या मार्ग में हानि के कारण निविदा दस्तावेज़ों/प्रस्तावों की अप्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। / NESAC will not be responsible for non-receipt of tender documents/offers due to postal delay / loss in transit.
8. निविदा शुल्क के भुगतान के बिना प्राप्त कोटेशन को अवांछित माना जाएगा। / Quotations received without payment of tender fee will be treated as unsolicited.

NESAC

9. कोटेशन, खोलने की तिथि से **नब्बे (90) दिनों** की अवधि तक वैध रहेगा। / Quotation shall be valid for a period of **NINETY** days from the date of opening.
10. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। / Quotations received after the due date and time will not be considered.
11. अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय कृपया लिफाफे पर निविदा संख्या एवं अंतिम तिथि अंकित करें तथा इसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग, उमियम – 793 103, मेघालय, भारत को संबोधित करें। / While submitting your offer please superscribe tender no and due date on the envelope. Addressed to The Sr. Administrative Officer, North Eastern Space Applications Centre, Government of India, Department of Space, Umiam – 793 103, Meghalaya, INDIA
12. **यदि निविदा खोलने की तिथि सार्वजनिक अवकाश होती है, तो निविदा अगले कार्य दिवस पर खोली जाएगी तथा इच्छुक विक्रेता/आपूर्तिकर्ता उचित प्राधिकरण पत्र के साथ अपने प्रतिनिधि को सार्वजनिक निविदा उद्घाटन में भेज सकते हैं। / If tender opening date happens to be public holiday tender will be opened on the next Working day & interested Vendors may depute their Representatives with proper authorization letter to attend the Public Tender opening.**
13. अंतिम तिथि बढ़ाने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। / Request for the extension of the due date will not be considered.
14. निदेशक, एनईसैक को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। / Director, NESAC reserves the right to accept or reject any tenders in part or full without assigning any reasons thereof.
15. जो निविदाकर्ता उपरोक्त खंड-01 में उल्लिखित वेबसाइट का उपयोग नहीं करते हैं, वे निर्धारित गैर-वापसी योग्य निविदा शुल्क का भुगतान कर उपर्युक्त क्रय अधिकारी, उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग, उमियम – 793 103, मेघालय, भारत से कार्य दिवसों में **प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे** के बीच निविदा दस्तावेज़ प्राप्त कर सकते हैं। / Tenderers who do not utilize the website shown at clause 01 above can also procure the Tender documents from The Purchase Officer, North Eastern Space Applications Centre, Government of India, Department of Space, Umiam – 793 103, Meghalaya, India on payment of Non-refundable Tender fee as indicated above, on all working days between **1000Hrs to 1400Hrs**

NESAC

दो भाग (2-पार्ट) निविदा हेतु विशेष निर्देश
SPECIAL INSTRUCTIONS FOR 2 PART TENDER

उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र(एनईसैक) आपसे अनुरोध करता है कि कृपया अपना कोटेशन दो भागों में (दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में) निम्नानुसार भेजें:

/ North Eastern Space Applications Centre (NESAC) requests you to send your quotation in two parts (in 2 separate sealed covers) as follows:

<u>भाग I (वाणिज्यिक एवं तकनीकी भाग):</u>

<u>PART I (COMMERCIAL AND TECHNICAL PART):</u>

कृपया विनिर्देशों एवं वाणिज्यिक शर्तों के संबंध में ही अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। कृपया ध्यान दें कि भाग-I में सेवा शुल्क (मूल्य विवरण) का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

/ Please submit your proposal in respect of Specifications and Commercial Terms only. Please note that the service charges (price details) should not be indicated in Part-I

लिफाफे पर स्पष्ट रूप से निम्नलिखित अंकित होना चाहिए:

/ The envelope should be Super-scribed with

वाणिज्यिक एवं तकनीकी भाग – I / Commercial & Technical Part 1

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या: / Notice Inviting Tender No:

अंतिम तिथि: / Due date :

नोट: भाग-1 में किसी भी प्रकार का मूल्य संबंधी विवरण शामिल नहीं होना चाहिए।

Note: Part 1 should not contain any price details

<u>भाग II (मूल्य भाग)</u> / <u>PART II (PRICE PART)</u>

भाग–II में केवल सेवा शुल्क ही होना चाहिए। सेवा शुल्क (मूल्य विवरण) हेतु तैयार किया गया कोटेशन एक अन्य लिफाफे में रखा जाए तथा उस पर निम्न प्रकार से स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए:

/ Part –II should contain only the service charges. The quotation for service charges (Price details) thus prepared should be placed in another envelope and super-scribed as follows:

मूल्य भाग – II / Price part II

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या: / Notice Inviting Tender No:

अंतिम तिथि:/ Due date :

दोनों लिफाफे (भाग-1 और भाग-II) को तैयार करके एक अन्य लिफाफे में रखा जाए तथा उस पर निम्नानुसार स्पष्ट रूप से लिखा जाए:

/ Both the envelope (Part 1 and Part II) Prepared should be placed in another envelope and super-scribed as follows:

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या: / Notice Inviting Tender No:

अंतिम तिथि: / Due date :

(तकनीकी + मूल्य बोली) सहित लिफाफा तथा प्रेषित किया जाए
/ Containing (Technical + Price bid) and sent to:

क्रय अधिकारी / PURCHASE OFFICER
उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र
NORTH EASTERN SPACE APPLICATIONS CENTRE
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
अंतरिक्ष विभाग / DEPARTMENT OF SPACE
उमियम – 793103 / UMIAM – 793103
मेघालय, भारत / MEGHALAYA, INDIA

टिप्पणी: / Note:

1. उपर्युक्त निविदा/कोटेशन निर्धारित तिथि एवं समय पर या उससे पूर्व हमें प्राप्त हो जाना चाहिए।
   / The above should reach us on or before the due date and time.

2. निदेशक, उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग, उमियम – 793 103, मेघालय को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी कोटेशन को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।
   / DIRECTOR, NORTH EASTERN SPACE APPLICATIONS CENTRE, GOVERNMENT OF INDIA, DEPARTMENT OF SPACE, UMIAM – 793 103, MEGHALAYA RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT OR REJECT ANY OF THE QUOTATION IN FULL/ PART THEREOF WITHOUT ASSIGNING ANY REASONS

NESAC

Annexure –A

PART- II PRICE BID
HIRING OF TAXIES UNDER ANNUAL CONTRACT

SL.No.	PARTICULARS			RATES FOR AC CARS & MUV's											RATES FOR NON-AC CARS & MUV's													
		24/7 Emergency Vehicle		Hatchback Cars	Sedan Cars	Standard MUV	Luxury MUV	4 Wheel Drive Vehicle	VVIP Vehicle	Traveller			Urbania		Hatchback Cars	Sedan Cars	Standard MUV	Luxury MUV	4 Wheel Drive Vehicle	Traveller			Urbania		VVIP Vehicle	Pick-up		
	DAILY BASIS	Hatchback Cars	Standard MUV							11-12 seater	16-17 seater	24-25 Seater	11 - 12 seater	16 - 17 seater						11-12 seater	16-17 seater	24-25 Seater	11 - 12 seater	16 - 17 seater		Single Cabin	Double Cabin	Mini Truck
Local Trips																												
1.1	4 hrs (40 Km)																											
1.2	6 hrs (60 Km)																											
1.3	8 hrs (80 Km)																											
1.4	10 hrs (100 Km)																											
1.5	12 hrs (120 Km)																											
1.6	15 hrs (150 Km)																											
1.7	Extra Rate / Km																											
1.8	Rate / hr beyond 15 hours																											
Outstation Trips																												
2.1	Vehicle Rate only per day inclusive of Driver & halt charges Minimum Kilometers included - XX Kms																											
2.2	Rate per km																											
One Way Drop / Pick Up Trips																												
3.1	Shillong to Guwahati city & vice versa (120 kms)							NA											NA									
3.2	Shillong to Ghy Airport Drop / Pick up (120 kms)							NA											NA									
3.3	Ghy City to Airport Drop/ Pick up (40 kms)							NA											NA									
3.4	NESAC Umiam to SHL Airport Drop / Pick up (40 kms)							NA											NA									
3.5	Shillong to SHL Airport Drop / Pick up (40 kms)							NA											NA									
3.4	Rate per extra hour (Waiting charges)							NA											NA									
Monthly Basis hiring of Vehicle																												
4.1	320 Hrs (2500 Km) in a month						NA	NA	NA									NA	NA						NA	NA	NA	NA
4.2	Extra Rate / Km beyond 2500 Kms						NA	NA	NA									NA	NA						NA	NA	NA	NA
4.3	Extra Rate per extra hour beyond 320 Hrs in a month						NA	NA	NA									NA	NA						NA	NA	NA	NA
Fuel Present price/ litre																												
5.1	Diesel																											
5.2	Petrol																											

Hatchback/Compact Sedan Cars – TATA Altroz, Glanza, Tata Tigor, Swift Dzire, Aspire, Xcent, Figo, Indigo, I20, Tiago, Baleno, Volkswagen Polo, Hyundai Aura, Mahindra KUV, Vento, Toyota Etios, Honda Amaze & Nissan Sunny

Sedan Cars – Etios, Honda City, Verna, Elantra, Civic, Skoda-Octaria, Superb, Rapid, Volkswagon, Toyota Corolla Altis, Ciaz, Yaaris, Toyota Camry etc

4 Wheel Drive - Bolero, etc.

Traveller – 11 to 12 seaters, 16 to 17 seaters, 25 Seater

Urbania - 11 to 12 seaters, 16 to 17 seaters

Standard MUV – Renault Triber, Tata Sumo, Bolero, Ertiga, Brezza, Hyundai Venue, Creta, Nexon, Kia Carens, urban cruiser, XUV 300, Honda WRV, S-Cross, MG-Hector, Kia Seltos KIA Sonnet, or equivalent, Scorpio

Luxury MUV – Innova, Scorpio N, Innova High Cross, Tata Safari, XUV 700, TATA Harrier, Tucson or equivalent
Pick-up – Bolero Camper, Tata Xenon, ISUZU, etc

Mini Truck - Tata Ace gold, Mahindra Jeeto, Maruti Suzuki Super Carry, Mahindra Supro Profit Truck or equivalent

VVIP Vehicle: Audi, BMW, Mercedes, Toyota Vellfire, Kia Carnival, Ford Endeavor, Toyota Fortuner, MG-Gloster, Volkswagon Tiguan (White colour)